निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

17 ज्येष्ठ 1940 (श0)

(सं0 पटना 533) पटना, वृहस्पतिवार 7 जून 2018

सं0 08/आरोप–01–05/2016सा0प्र0–4541

सामान्य प्रशासन विभाग

———

संकल्प

5 अप्रील 2018

श्री विजय कुमार, बि0प्र0से0, कोटि क्रमांक 434/11 (सम्प्रति सेवानिवृत्त) के विरूद्ध अंचलाधिकारी, नगर अंचल, गया के पदस्थापन काल से संबंधित जिला पदाधिकारी, गया से प्राप्त आरोपों (राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के परिपत्रों एवं बी०टी० एक्ट–1973 के प्रावधानों के प्रतिकूल रैयती, गैर मजरूआ आम भूमि/गैर मजरूआ मालिक जमीन का लगान निर्धारण करना) की जांच हेतु संकल्प ज्ञापांक–2773, दिनांक 26.02.2014 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन में श्री कुमार के विरूद्ध गठित आरोपों को अप्रमाणित बताया गया। समीक्षोपरांत विभागीय संकल्प ज्ञापांक–10455 दिनांक 29.07.2016 द्वारा श्री कुमार के विरूद्ध गठित आरोपों की आगे और जाँच कराने का आदेश निर्गत हुआ, जिसमें आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना से स्वयं जाँच की कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया। संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जांच प्रतिवेदन (पत्रांक–802 दिनांक 25.05.2017) के आलोक में प्रमाणित आरोपों पर श्री कुमार से लिखित अभिकथन/बचाव बयान प्राप्त किया गया। आरोप, जाँच प्रतिवेदन एवं श्री कुमार से प्राप्त लिखित अभिकथन की अनुशासनिक प्राधिकार के स्तर पर समीक्षा में जिलास्तरीय जाँच से उद्‌भूत लगान निर्धारण में अनियमितता संबंधी इस मामले में लगान निर्धारण में अनियमितता एवं क्षेत्राधिकार उल्लंघन का तथ्य प्रमाणित पाया गया। तदुपरांत विभागीय संकल्प ज्ञापांक

1481 दिनांक 30.01.2018 द्वारा निन्दन, प्रोन्नति पर स्थायी रोक एवं संचयी प्रभाव से कालमान वेतन में तीन प्रक्रम पर अवनति का दंड़ संसूचित किया गया।

2. उपर्युक्त दंड को निरस्त करने हेतु श्री कुमार ने अपना पुनर्विचार अभ्यावेदन (दिनांक 12.02.2018) समर्पित किया है। इस क्रम में आरोपों की प्रमाणिकता के बचाव में केवल बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा दिये गये मंतव्य को आधार बनाया गया है। वस्तुतः बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा दिये गये मंतव्य के आलोक में अनुशासनिक प्राधिकार के स्तर पर मामले की पुनः समीक्षा की गयी तथा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के परिपत्रों एवं बी०टी० एक्ट–1973 के प्रावधानों के प्रतिकूल रैयती, गैर मजरूआ आम भूमि/गैर मजरूआ मालिक जमीन का लगान निर्धारण में अनियमितता संबंधी साक्ष्य आधारित प्रमाणित आरोपों के आलोक में बिहार लोक सेवा आयोग के अभिमत से असहमत होते हुए श्री कुमार के विरूद्ध दंड़ादेश पारित किया गया। ऐसी स्थिति में श्री कुमार का पुनर्विचार अभ्यावेदन (दिनांक 12.02.2018) स्वीकार योग्य नहीं पाया गया।

अतएव उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में श्री विजय कुमार, बि0प्र0से0, कोटि क्रमांक 434/11 (सम्प्रति सेवानिवृत्त) के विरूद्ध संकल्प ज्ञापांक 1481 दिनांक 30.01.2018 द्वारा संसूचित दंड (निन्दन, प्रोन्नति पर स्थायी रोक एवं संचयी प्रभाव से कालमान वेतन में तीन प्रक्रम पर अवनति) यथावत रखा जाता है।

आदेशः–आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रतियाँ सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,

राम बिशुन राय,

सरकार के अवर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 533-571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in